श्री राम नरेश यादव

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

19 पौष, 1935 शक भोपाल, गुरुवार, 9 जनवरी 2014

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

01. चौदहवीं विधानसभा के इस प्रथम सत्र में आप सब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है। मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन का लोकतांत्रिक महापर्व शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ है। इसके लिये सभी प्रदेशवासी, राजनीतिक दल, शासन-प्रशासन बधाई के पात्र हैं। चुनाव-दर-चुनाव मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का संकेत है कि हम इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सफल हो रहे हैं।

02. मध्यप्रदेश में मेरी सरकार तीसरी बार भारी सकारात्मक जनादेश के साथ लौटी है। प्रदेश के इतिहास में यह अपने किस्म की अनूठी घटना है। स्पष्ट है कि जनता का यह अभूतपूर्व विश्वास तभी हासिल होता है जब घोषणाएं धरातल पर मूर्त रूप लेती हैं, जब शासन की योजनाएं वास्तव

में जनता को लाभ पहुंचाती हैं। मेरी सरकार अपनी जनोन्मुखी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण स्वयं को व्यापक जनस्वीकृति के योग्य सिद्ध कर सकी है।

03. मेरी सरकार तेज गति के साथ काम करने के संकल्प बोध और समर्पण भावना की सरकार है। अपने जनता की जिन्दगी में सुधार लाना केवल यही मेरी सरकार का मकसद है। मेरी सरकार मध्यप्रदेश की धरती पर किसी को भी गरीब नहीं रहने देना चाहती है। मेरी सरकार शासक नहीं, सेवक है। जब तक एक भी गरीब की आँख में आंसू हैं, तब तक चैन से बैठने का समय नहीं है। कोई भूखा न सोये और बिना इलाज के न रहे, हर हाँथ को काम मिले और हर एक को इज्जत की जिंदगी मिले, मेरी सरकार का यही लक्ष्य है। यह सिर्फ निरंतरता का ही जनादेश नहीं है बल्कि जनता के इस भरोसे का भी जनादेश है कि मेरी सरकार ही नए युग की आकांक्षाओं और सपनों के

साथ न्याय कर सकती है। गरीबी कम करना, आय की असमानताओं को कम करना और दीर्घकालिक रोजगार के अधिकतम अवसरों को निर्मित करना मेरी सरकार का लक्ष्य है।

04. प्रदेश की विकास प्रक्रिया को आकार देने हेतु पहले दिन से मेरी सरकार ने बिना कोई वक्त गवाए तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है। नवीन सरकार के गठन के पहले दिन ही चार बड़े निर्णय भी लिये गए। मेरी सरकार गरीबों की खाद्य सुरक्षा के प्रति संकल्पित है। इसलिए गरीबों को गेहूँ की भाँति चावल भी एक रूपये किलो देने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपने खेत तक जाने के लिए सुगम रास्ते नहीं थे, अतः खेत तक उपकरण पहुँचाने और खेत में उत्पाद लाभ की सुविधा की दृष्टि से मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी उसी दिन प्रवर्तित की गई। उसी दिन मध्यम वर्ग आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। भारत

का मध्यम वर्ग दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है। इस मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और सपनों के प्रति मेरी सरकार संवदेनशील है। उसी अवसर पर मेरी सरकार ने राज्य व्यापार संवर्धन मंडल गठित करने का भी निर्णय लिया। केवल उद्योग और कृषि ही सबको रोज़गार नहीं दे सकते हैं। अतः व्यापार को भी प्रोत्साहन देना आवश्यक है। मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेकर इसे देश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए इस मंडल का गठन किया गया है।

05. विकास के लिए मेरी सरकार ने अगले 5 वर्षों का रोडमेप तैयार कर लिया है। न केवल प्रदेश के विकास का दृष्टिपत्र तैयार कर लिया गया है बल्कि उसे क्रियान्वित करने की समय सीमाएं भी तय कर ली गई है। गत एक दशक में प्रदेश को काफी आगे ले जाया गया है, किन्तु अब इससे भी बहुत आगे की यात्रा तय करनी है। मध्यप्रदेश

आज बीमारू नहीं बल्कि एक ऐसा विकासशील प्रदेश है जो तीव्रतम गति से आगे बढ़ते हुए शीघ्र ही विकसित राज्यों की अग्रपांत में आकर खड़ा होगा। पिछले दशक की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता से पैदा हुए आत्मविश्वास ने मेरी सरकार को विकास का एक दूरगामी परिप्रेक्ष्य तय करने के लिए तत्पर किया है। मेरी सरकार गरीबों की चिन्ता करने वाली सरकार है। मेरी सरकार के गठन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री के द्वारा झुग्गी-बस्तियों में जाकर यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों के साथ खड़े होने की है। मेरी सरकार का विश्वास है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब सिर्फ अतिक्रमणकारी की तरह नहीं देखे जाने चाहिए। उन्हें उनकी मानवीय गरिमा में प्रतिष्ठापित करना होगा। इसी संवेदना के साथ प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार ऐसा दृष्टिपत्र तैयार किया गया है जिसमें प्रगति के लिए विभिन्न उपायों

को चिन्हित करने और उन्हें कार्यान्वित करने की रूप रेखा तय की गई है। यह दृष्टिपत्र जनसंकल्प 2013 में प्रस्तावित संकल्पों का समावेश भी करता है। लोकवित्त प्रबंधन, कृषि और सिंचाई, भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति, औद्योगिकीकरण की तीव्र गति, सामाजिक प्रशासन के क्षेत्रों में संवेदनशील योजनाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लोकव्यापीकरण, जिले से जिले को एवं गाँवों को जोड़ने वाली उत्तम सड़कें, लोक सेवाओं की गारंटी, अच्छी कानून व्यवस्था आदि सुशासन के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रमाण हैं। अब इस पृष्ठभूमि में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न सेक्टरों में लोक-नीति का निर्माण इस दृष्टिपत्र के माध्यम से किया गया है। इसे तैयार करने में आम जनता के सुझावों की भी उपयोगी भूमिका रही है।

06. आज नागरिक सुशासन चाहता है। इसलिए मेरी सरकार ने तय किया है कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके

लिए विभागों के भीतर ही आंतरिक विजलेंस व्यवस्था एवं कतिपय प्रमुख विभागों में वित्तीय सलाहकार व्यवस्था प्रवर्तित की जाएगी। पूर्व में भी मेरी सरकार ने ही विशेष न्यायालय अधिनियम व लोकसेवा गारन्टी अधिनियम लाकर एवं भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध छापे मारकर भ्रष्टाचार के विरूद्ध उस युद्ध की शुरूआत की थी, जिसके कुछ अंशों को राष्ट्रीय स्तर पर छिड़े आंदोलनों ने अपनी मांगों में शामिल किया। पिछले वर्षों में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक आक्रामक अभियान का नेतृत्व किया है।

07. जब मेरी सरकार ने देश में पहली बार लोक सेवा गारन्टी अधिनियम प्रवर्तित किया था तब सेवाओं के समय-सीमा में प्रदाय को सुशासन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में रेखांकित किया गया था। अब इससे एक कदम आगे बढ़कर मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि हर परियोजना समय सीमा में शुरू और पूर्ण हो।

विभिन्न विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्रों में देश और दुनिया भर में चल रही सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन कर व्यावहारिक एवं परिणाममूलक कार्य योजना तैयार करें। मेरी सरकार जनता तक पहुंचने वाले लाभ को शासकीय विभागों की समीक्षा का पैमाना बनाएगी।

08. मेरी सरकार ने प्रदेश में ई-गवर्नेन्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रभावी उपयोग किया है। प्रदेश के नागरिकों को "कहीं भी - कभी भी" लोक सेवाओं के त्वरित प्रदाय हेतु नागरिक सुविधा केन्द्रों/लोक सेवा केन्द्रों, ऑनलाईन सुविधाओं और मोबाईल गवर्नेन्स के तंत्र को सशक्त बनाया गया है। प्रदेश वर्तमान में लगभग 35 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के साथ सम्पूर्ण देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में आई.टी. अधोसंरचनाओं के निरन्तर सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ आई.टी.

तकनीकों के सहयोग से निर्णय सहायता के समेकित तंत्र का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के 15 जिला मुख्यालयों पर आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स के क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कोषालय से 92 प्रतिशत भुगतान तथा लगभग 47 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है। ई-ऑफिस परियोजना का भी क्रमबद्ध क्रियान्वयन किया जायेगा। सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ अब सीधे उनके खाते में ई-बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में अभी तक 21 विभागों की 101 अधिसूचित सेवाओं को बढ़ाकर इस वर्ष 122 किया जाएगा।

09. मेरी सरकार का मानना रहा है कि जनता की भूमिका वोट देकर खत्म नहीं हो जाती, वह वहाँ से शुरू होती है। इसलिए मेरी सरकार प्रदेश भर

में आओ बनाएं मध्यप्रदेश सम्मेलनों की श्रृंखला आरंभ करने जा रही है। अकेले तंत्र के भरोसे विकास नहीं होता समाज और सरकार दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। अब मेरी सरकार इन सम्मेलनों के माध्यम से प्रदेश की आम जनता के ज्ञान और ऊर्जा का इस्तेमाल प्रदेश के निर्माण में करने जा रही है।

10. पिछले 7 वर्षों में मध्यप्रदेश में वृद्धि दर दहाई के अंकों में रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यह वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से लगभग दो गुना है। मेरी सरकार देश में आर्थिक अनिश्चिताओं के बावजूद राज्य राजकोषीय घाटे को, मध्यप्रदेश राजकोषीय एवं उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने में सफल रही है। प्रभावी वित्तीय

प्रबंधन के माध्यम से आगे आने वाले वर्षों में भी राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अन्दर रखा जायेगा। प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है। आगे भी राजस्व आधिक्य बनाया रखा जायेगा तथा समस्त बाजार ऋणों का उपयोग पूँजीगत व्ययों के लिए ही किया जायेगा।

11. यह उद्यमिता का समय है। प्रदेश के नागरिकों में उद्यम की भावना का विकास हुआ है। प्रदेश के नौजवान उच्च स्तरीय अधोसंरचना का लाभ लेते हुए गांव-गांव में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित कर सकें, इस हेतु मेरी सरकार विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के जरिए प्रदेश भर में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रेक्टर योजना के भीतर लाभों का विपुल विस्तार किया जाएगा।

12. मेरी सरकार ने यह संकल्प किया है कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रशिक्षण, डिजाईन, मार्केटिंग एवं वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रदेश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया हो सके। जिन विकासखंडों में कौशल विकास केन्द्र नहीं है, वहाँ उनकी स्थापना के लिये निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन केन्द्रों के संचालन के लिये जिला मुख्यालय पर आईटीआई को नोडल एजेंसी बनाया जायेगा। अग्रणी उद्योग प्रतिष्ठान और बहु-पार्श्व संस्थाओं के सहयोग से उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और उनमें लगने वाली जन-शक्ति के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश में रोजगार के नये अवसर निर्मित करने हेतु मेरी सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए विगत वर्षों में बहुआयामी तथा

व्यापक प्रयास किए हैं, जिसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं। विगत 10 वर्षों में प्रदेश में 172 बृहद एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों में रू. 57,453 करोड़ का पूंजी निवेश कर संबंधित इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे 34,385 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त लगभग रू. 79,853 करोड़ की लागत से 164 बृहद /मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें लगभग 1 लाख नवीन रोजगार निर्मित होंगे। गत दस वर्षो में 1.82 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित हुए हैं, जिनमें 4.24 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 27 स्थानों पर 7675 हेक्टेयर भूमि पर रू. 3000 करोड़ की लागत से सर्वसुविधायुक्त नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना को मंजूर किया गया है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 920 हेक्टेयर भूमि पर रू.373 करोड़ के

निवेश से 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 701 हेक्टेयर क्षेत्र में रू.303 करोड़ के निवेश से 8 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा स्थापित उद्योगों को उत्तम अधोसंरचना उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से 13 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के अधोसंरचना उन्नयन की योजना स्वीकृत की गई। वर्तमान में 3672 हेक्टेयर भूमि पर रू.310 करोड़ के निवेश से अधोसंरचना उन्नयन कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

13. मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा के तहत समस्त निर्धन परिवारों के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयकर दाता एवं शासकीय सेवा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/ कर्मचारियों के परिवारों को छोड़कर समस्त परिवार, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत पंजीकृत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, मध्यप्रदेश

भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के पंजीकृत श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही, साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत रिक्शा चालक, हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राही, अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे, निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन, वनाधिकार प्राप्त पट्टाधारी, पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं, पंजीकृत फेरीवाले, रेल्वे में पंजीकृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचयपत्रधारी बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, नगरीय निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति को भी

शामिल किया है। प्रदेश में जून, 2013 से बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्डधारी लगभग 75 लाख परिवारों को अतिरिक्त रियायत देते हुए गेहूँ रुपये 1/- प्रति किलो एवं चावल रुपये 2/- प्रति किलो प्रदाय किया जा रहा था। जनवरी 2014 से चावल भी रु. 1/- प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है।

14. मेरी सरकार कृषि तकनीक और सिंचाई की पहुंच का दूरस्थ खेतों तक विस्तार करेगी एवं खेत स्तर पर विविधीकरण और मूल्य संवर्धन के जरिए इस क्षेत्र में लाभों का सुदृढ़ीकरण करेगी। पिछले दो वर्षों से हम देश में कृषि क्षेत्र में उच्चतम विकास दर दे रहे हैं और इस वर्ष भी प्रदेश को पुनः कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस वर्ष किसानों को दुनियाभर में प्रचलित कृषि की श्रेष्ठ तकनीकों को देखने के लिए विदेश अध्ययन यात्रा पर भेजा जाएगा। इसी के साथ

मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना भी लागू की जाएगी, जिसके तहत प्रदेश के प्रगतिशील किसानों के उत्कृष्ट खेतों को एक प्रेरणा बिन्दु के रूप में अन्य किसानों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब देश के अन्न भंडार भरने में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मेरी सरकार ने अगले पाँच वर्ष में प्रतिवर्ष 16.50 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन करने का फैसला लिया है। मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में राज्य शासन की अंश पूंजी को रूपए 15 करोड़ से बढ़ाकर रूपये 40 करोड़ किया गया है। प्रदेश के 20 जिलों में बीज गोदाम-सह-ग्रेडिंग प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में रुपये 37 हजार प्रति किसान औसत ऋण में वृद्धि कर अगले पाँच साल में रुपये 50 हजार प्रति किसान औसत ऋण के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ रुपये 25 हजार करोड़ के अल्पावधि फसल ऋण वितरित किये जायेंगे। अगले पाँच वर्षों में नवीन 20 लाख

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में वर्ष 2012-13 के दौरान 20 लाख 33 हजार किसानों ने फसलों का बीमा करवाया था, जो अब तक सर्वाधिक है। इनमें से प्रभावित किसानों को 75 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

15. उद्यानिकी के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये जन-निजी भागीदारी के माध्यम से 4 हॉर्टीकल्चर हब, 5 टिशूकल्चर लेबोरेटरी, फसलोत्तर प्रबंधन अधोसंरचना शीत-श्रृंखला, एवं ऑनलाईन ट्रेडिंग की योजनाओं पर कार्य किया जायेगा। संरक्षित खेती के गलियारे बनाये जायेंगे। बड़े शहरों के आसपास उद्यानिकी फसलों के क्लस्टर का निर्माण किया जायेगा। किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिये उन्हें संगठित कर 20 कृषक उत्पादक कंपनियों का निर्माण कराया जायेगा, ताकि उन्हें आदान से

लेकर फसल के विपणन तक की सभी सुविधाएँ समय पर एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके।

16. प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 में गेहूँ, धान एवं मक्का के उपार्जन मूल्य के अतिरिक्त बोनस प्रदान किया गया। इस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। मेरी सरकार के नवाचारी प्रयासों से वर्ष 2012-13 में मध्यप्रदेश की दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर राष्ट्र में सर्वाधिक थी। इस वर्ष प्रदेश महाराष्ट्र से कुल दुग्ध उत्पादन में आगे निकल कर देश में छठवें स्थान पर आ गया है। मेरी सरकार पशु चिकित्सा सेवाओं का कवरेज बढ़ाएगी। अगले पाँच वर्षों में सभी जिलों में रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जायेंगी।

17. शासकीय स्त्रोतों से की जाने वाली सिंचाई आज से एक दशक पहले मात्र 7 लाख हैक्टेयर थी

जिसे बढ़ाकर गत रबी में 25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई। वर्ष 2018 तक 40 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। परियोजनाओं में नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया है। अधिकांश वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में रूपांकित सिंचाई क्षमता से अधिक सिंचाई की गई है। प्रदेश की सभी वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में नहरों की लाईनिंग कराने का निर्णय लिया गया है। नर्मदा जल के क्षिप्रा में प्रवाह की परियोजना का प्रथम चरण पूर्णता पर है। इससे क्षिप्रा अंचल के नगरों, कस्बों, गाँवों और उद्योगों को जलापूर्ति के साथ ही उज्जैन में आगामी सिंहस्थ पर्व के लिये भी जल सुलभ होगा। अगले चरणों में कालीसिंध, गंभीर और पार्वती नदी में नर्मदा जल प्रवाहित करने की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं।

18. विद्युत उत्पादन क्षमतावृध्दि, पारेषण प्रणाली में सुधार तथा वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं विस्तार

के माध्यम से राज्य सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति की अवस्था में पहुंच चुका है। कृषि उपभोक्ताओं को फीडर विभक्तिकरण के माध्यम से 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में दीर्घकालीन अनुबंधों के आधार पर विद्युत उपलब्धता 11,228 मेगावॉट है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिसम्बर माह तक प्रदेश में 887 मेगावॉट विद्युत उपलब्धता में वृध्दि हुई है। अब हम बिजली बेचने वाले राज्य बन गए हैं। पारेषण प्रणाली के पूंजीगत कार्यों के फलस्वरूप प्रदेश में ट्रांसमिशन हानियों का स्तर मात्र 3.30 प्रतिशत है जो कि देश में न्यूनतम स्तर पर है। वितरण के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में एटी एंड सी हानियों के स्तर में लगभग 10 प्रतिशत की कमी लाई गई है। प्रदेश के नीमच जिले में 130 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना की जा चुकी है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक संयत्र है। प्रदेश में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लगभग 3547

मेगावॉट के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है जो देश में सर्वाधिक हैं।

19. अधोसंरचना का विकास मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य के सम्पूर्ण 11 हजार किलोमीटर राज्य राजमार्ग को विश्व-स्तरीय राज्य मार्ग तंत्र में बदला जायेगा। अगले पाँच वर्ष में 19 हजार किलोमीटर लम्बाई के प्रमुख जिला सड़क नेटवर्क का उन्नयन किया जायेगा। वर्तमान में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा 32,657 करोड़ के कार्य किये जा रहे हैं। बीओटी में 24 एकीकृत बार्डर चेक पोस्ट का निर्माण प्रगति पर है। हमारी सरकार द्वारा पीपीपी मोड में 1400 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जायेगा। 1500 करोड़ रूपए की राशि से 34 ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। मेरी सरकार ने सड़क दुर्घटना से प्रभावितों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के

प्रावधान तथा विश्व-स्तरीय एक्सीडेन्ट रेस्पांस एवं राजमार्ग प्रबंधन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

20. मध्यप्रदेश की ज्यादातर आबादी अभी भी गांवों में बसती है। गाँव इस प्रदेश की आत्मा हैं। मेरी सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्राम, मजरा टोला और खेत को सड़क से जोड़ा जाए और पंचायत भवन एवं आंगनवाड़ी भवनों के अभाव को दूर किया जाए। मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनों के लिए 10 लाख आवास बनाने जा रही है। प्रत्येक आवास के साथ शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में अब तक बैंकों द्वारा 2.70 लाख आवास ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 1.89 लाख प्रकरणों में ऋण वितरित हो चुका है। अभी तक 80,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 'मेरी माटी मेरा खेत' योजना के अंतर्गत किसानों की, खेती की मदद के लिए काम करवाए जा सकेंगे। गाँव के घर-घर में

बिजली पहुंचाने के बाद मेरी सरकार का लक्ष्य घर-घर में पानी पहुंचाना भी होगा। मेरी सरकार पाँच वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की 40,000 बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था करेगी। एक सौ तक की आबादी वाले मजरे/टोलों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम एक पेयजल स्रोत उपलब्ध करवायेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बड़ी एवं छोटी सभी प्रकार की नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन कर डेढ़ करोड़ ग्रामीण आबादी को जलप्रदाय सुनिश्चित करेगी। ग्रामीण आबादी को नल-जल प्रदाय योजना के माध्यम से जल-प्रदाय के वर्तमान स्तर 10 प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत 34 प्रतिशत तक लाया जायेगा। भू-जल स्रोतों पर निर्भरता कम करने हेतु सतही स्रोत आधारित समूह योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी।

21. मेरी सरकार ने नगरों के समग्र विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम,

मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन तथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना को आरंभ किया है। शहरी गरीबों की भूमि उपलब्धता मेरी सरकार की प्राथमिकता है। शहरी गरीबों की आवासहीनता का निराकरण करने के लिए मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में 5 लाख आवास निर्मित करेगी। अवैध कॉलोनियों में निवास कर रहे लोग भी तरह-तरह के अभावों और दिक्कतों का सामना करते हैं। इस दृष्टि से अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए मेरी सरकार व्यावहारिक कार्य योजना बनाएगी। मेरी सरकार ने नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था को पेशेवर बनाने हेतु संस्थागत सुधार का ढांचा तैयार किया है जिसमें विशेषज्ञ सेवाओं को सम्मिलित कर नगरीय विकास को गति दी जाएगी। प्रदेश के चार बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों का गठन किया गया है ताकि आम

नागरिकों को स्तरीय लोक परिवहन सेवा का लाभ मिल सके।

22. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के संवैधानिक हित संरक्षण और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान हेतु कृत संकल्प है। आदिवासी उपयोजना मद में पिछले 10 वर्षों में 7 गुने से अधिक वृद्धि की गई है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप अब तक कुल 1,92,780 दावेदारों को अधिकार पत्र दिये गये हैं । इन अधिकारधारकों को कृषि प्रयोजन संबंधी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है तथा मान्य दावेदारों की पुनः राज्य शासन द्वारा समीक्षा करवाई जायेगी। सामुदायिक दावों के अंतर्गत अभी तक 12000 से भी ज्यादा सामुदायिक दावों को मान्य किया गया है जो देश

में सर्वाधिक है। एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. बी.ई., डिप्लोमा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, बी.एड, पाठ्यक्रमों में अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिये फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस की सीमा तक फीस भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विदेश अध्ययन के लिए 50 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष भेजा जावेगा। आवास सहायता योजनांतर्गत उच्च शिक्षा के लिये अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की आवास समस्या के निराकरण के लिये भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों में रू. 2000/- प्रति विद्यार्थी तथा जिला मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी 1250/- एवं तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह के मान से आवास सहायता राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस योजना के अंतर्गत भी उच्च शिक्षारत अनुसूचित जनजाति के

लगभग 20,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

23. अब राज्य में अनुसूचित जाति के गरीब विद्यार्थियों को अशासकीय महाविद्यालयों में भी अध्ययनरत होने पर पूर्ण शुल्क का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 11 में अध्ययनरत ऐसी बालिकाओं को जिन्हें कक्षा 9 में सायकल प्राप्त नहीं हुई थी उन्हें सायकल क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में प्रवेश से वंचित संभागीय, जिला, तहसील एवं ब्लाक मुख्यालयों में घर से बाहर रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु निर्धारित राशि प्रदान की जायेगी। अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों को स्व-रोजगार में स्थापित करने के लिये ऋण और अधिकतम 3 लाख तक की अनुदान सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना प्रारंभ की गई

है। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस वर्ष उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समितियों का गठन किया जायेगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की 20 प्रतिशत राशि आवश्यक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में खर्च करने की कार्यवाही प्रचलन में है। विशेष भरती अभियान निरन्तर जारी है। अभियान के जरिये अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 36,225 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का विषय लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाया गया है।

24. पिछड़ा वर्ग महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की आवासीय सुविधा बढ़ाने के लिये छात्रगृह योजना के प्रावधान में वृद्धि की गई है। मेरी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक

वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ अब सीधे उनके खाते में ई-बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी। वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा की विशेष कार्ययोजना तैयार की जायेगी। हज यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। भोपाल में हज हाउस का निर्माण प्रगति पर है। अल्पसंख्यक बहुल जिले की विकास योजना में भोपाल जिले के अतिरिक्त केन्ट महू इन्दौर, श्योपुर, रतलाम, खरगोन एवं बुरहानपुर जिलों को सम्मिलित किया गया है। मेरी सरकार ने पहली बार विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग गठित किया है। इन वर्गों के समग्र विकास के लिये अन्य योजनाएँ भी बनायी जा रही हैं।

25. मेरी सरकार द्वारा शालाओं में प्रवेश एवं निरंतर उपस्थिति से आगे बढ़कर शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए प्रत्येक बसाहट

के दायरे में हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सुविधा का विस्तार किया जायेगा। उत्कृष्ट विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था का विस्तार किया जायेगा। विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी एवं 45 हजार शिक्षकों की नवीन नियुक्ति की जायेगी। शिक्षक एवं शालाओं की मूल्यांकन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा। प्रतिभा पर्व का हायर सेकेण्डरी शालाओं तक विस्तार किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य से डाइट का सभी जिलों में विस्तार किया जायेगा। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में नियमित सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप वर्तमान पाठ्यक्रम में सुधार किया जायेगा।

26. मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा के सर्वांगीण सुधार एवं विकास का लक्ष्य रखा है। विश्वविद्यालय

अधिनियम 1973 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे विश्वविद्यालय आंतरिक सुधारों के लिये प्रेरित होंगे। महाविद्यालय में अधोसंरचना का विकास, वंचित वर्गों के लिये छात्रावासों का निर्माण, छात्रों को मेरिट स्कॉलरशिप का प्रदाय, शिक्षकों के लिये फेकल्टी प्रशिक्षण को बढ़ावा तथा रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य सरकार की प्राथमिकता है। शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में 28,000 विद्यार्थियों को वोकेशनल कोर्स/स्किल डेव्हलपमेन्ट कोर्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंकों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में 11000 विद्यार्थियों को रुपये 358 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। उच्च शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

27. सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए अभियान के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क औषधि वितरण योजना, नि:शुल्क चिकित्सकीय जांच, संजीवनी 108 के अंतर्गत लगभग 650 वाहन तथा जननी एक्सप्रेस के अंतर्गत 876 वाहन के माध्यम से राज्य के चार लाख गरीब नागरिकों को नि:शुल्क औषधि, लगभग 75,000 नागरिकों की नि:शुल्क जांच तथा लगभग 4,000 नागरिकों को प्रतिदिन परिवहन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार राज्य में मातृ मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर को राष्ट्रीय मानको से बेहतर करने के लिए कृतसंकल्प हैं। इस वर्ष मातृ मृत्यु दर में 47 अंको तथा शिशु मृत्यु दर में 11 अंको की गिरावट शासन द्वारा इस दिशा में किये गए प्रयासों की सफलता दर्शाती है। चिकित्सा सेवाओं में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना प्रारम्भ की जायेगी। गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ग्राम आरोग्य केन्द्रों को 5 हजार सेक्टरों में विभक्त कर ग्राम प्रहरी दल के रूप में

पदस्थ प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। आगामी पांच वर्ष में 4 हजार उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण, दो-दो हजार चिकित्सकों/नर्सों तथा दस हजार पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी। माताओं के सम्मान जनक एवं सुरक्षित प्रसव हेतु 1600 अत्याधुनिक प्रसव केन्द्रों को विकसित किया जायेगा। कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए ग्राम स्तर पर डे केयर सेंटर स्थापित किये जायेंगे। राज्य में पांच शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में अति विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करते हुए मेडिसिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। आयुष विभाग में 2600 पद जिसमें आयुर्वेद/होम्योपैथी/ यूनानी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल व अन्य पद शामिल हैं, भरे जायेंगे। 6 शासकीय स्वशासी आयुर्वेद एवं एक होम्योपैथी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठयक्रम प्रारंभ किया जावेगा। सभी

उपचार प्रणालियों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र तक करने के उद्देश्य से नवीन आयुष औषधालय खोले जाने के लिए 1000 ग्राम के चयन की कार्यवाही प्रचलित है। मेरी सरकार द्वारा आयुष रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जावेगा।

28. मेरी सरकार वन संरक्षण और उनके संवर्द्धन के लिये प्रतिबद्ध है। हम अपने हरित आवरण को बरकरार रखने में लगातार कामयाब रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश के 32 लाख तेंदूपत्ता संग्रहकों को वर्ष 2012 का 245 करोड़ रूपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक उपलब्ध कराया गया है। वनवासी युवाओं की वन-संरक्षण और वृक्षारोपण में भागीदारी बढ़ाई जायेगी। किसानों की भूमि पर इमारती, जलाऊ लकड़ी और चारा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कृषि वानिकी के अंतर्गत पहल की जायेगी। मेरी सरकार वृक्ष

कटाई पर निगरानी के लिये सुदूर संवेदन प्रणाली और जीआईएस का विस्तार एवं वनों और वन्य जीवन के संरक्षण के लिये आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देगी।

29. प्रदेश में पिछले दस साल में 20 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में रुपये 352 करोड़ का हितलाभ प्रदान किया गया है। मेरी सरकार ने प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। अभी तक 25 लाख निर्माण श्रमिक का पंजीयन कर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अभी तक 20 लाख से अधिक हितग्राहियों को 352 करोड़ की राशि वितरित कर लाभान्वित किया गया है। सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिये वर्तमान में लागू कल्याण योजनाओं के अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना, सुपर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन

अनुदान, राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन राशि जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिये भोपाल शहर के पास बिल्डिंग वर्कर्स एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जायेगा। इस वर्ष मध्यप्रदेश केशशिल्पी मंडल, मध्यप्रदेश वस्त्र स्वच्छता मंडल एवं मध्यप्रदेश सिलाई कला मंडल का गठन किया गया है।

30. मेरी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों का अभूतपूर्व विस्तार और विकास किया है। मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक संपदा को देखते हुए मध्यप्रदेश को देश के पर्यटन मानचित्र में शिखर पर पहुंचाना मेरी सरकार का लक्ष्य है। पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश पर्यटन ने सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इसे और आगे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश के पर्यटन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।

मेला प्राधिकरण को अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा तथा लोक कलाकार कल्याण मंडल का गठन किया जाएगा। भोपाल के समीप चिकलोदकलां गाँव में भारतीय संस्कृति, इतिहास और वैभवशाली विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वीर भारत परिसर स्थापित किया जाएगा। सरकार ने स्वामी विवेकानंद का 150वां जन्म-वर्ष और अमर शहीद तात्या टोपे की 200 वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाने का फैसला लिया है।

31. मेरी सरकार कानून के राज की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुर्जनों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर पुलिस व्यवस्था का प्रवर्तन मेरी सरकार का संकल्प है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा पहली बार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 61 नगरों में सीसीटीवी आधारित निगरानी हेतु सैद्धांतिक

सहमति प्रदान की गई है। क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु पुलिस थाना स्तर से पुलिस मुख्यालय स्तर के समस्त कार्यालयों का कम्प्युटरीकरण का कार्य जारी है। प्रदेश में 9 महिला थाने एवं 141 महिला डेस्क स्वीकृत किये गए हैं। पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना के कारण वर्ष 2013 में ही 13 प्रकरणों में महिला से बलात्संग के आरोपियों को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। 'निर्भया' जैसे प्रयोग युवतियों एवं महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार कर रहे हैं। बेटियाँ साक्षात देवियाँ है। उनकी राह में मेरी सरकार कांटा नहीं रहने देगी। बेटी बचाओ अभियान के तहत भ्रूण हत्या प्रकरणों में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास में मदद के लिये मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता, उन्हें स्व-

रोजगार के लिये प्रेरित करना, आत्म-निर्भर बनाना तथा समाज की मुख्य-धारा में पुनर्स्थापित करना है।

32. मेरी सरकार सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कतिपय विशिष्ट सेवाएँ उपलब्ध कराने एवं इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सराही गयी है। मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

33. मेरी सरकार ने समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का एक पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित पेंशन, छात्रवृत्ति की योजनाएँ, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले खाद्यान्न आदि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा। इस व्यवस्था से हितग्राहियों को सीधे लाभ का हस्तांतरण होने के साथ-साथ कार्यक्रमों

में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा बिना विलम्ब के नागरिकों तक सुविधाएँ पहुँचेगी। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के हितग्राहियों को बार-बार के आवेदन करने एवं सत्यापन से छूट मिलेगी। कुछ कार्यक्रमों में आवेदन किये बगैर ही उनकी पात्रता के आधार पर उनको सुविधाएँ उपलब्ध होने लगेगी।

34. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना समाज में काफी लोकप्रिय हुई है। योजना की सहायता राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना से प्रदेश में अभी तक 2.85 लाख कन्याएँ लाभान्वित हुई हैं। मेरी सरकार द्वारा वंचित हितग्राहियों के लिये भी नई पेंशन योजना प्रारंभ की गई है।

35. म.प्र. राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों

के लिये तैयार की जा रही आदर्श पुनर्वास नीति में मुख्य रूप से सभी जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन, नगरीय क्षेत्र में डे-केयर सेन्टर वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन की सुविधा के साथ उपलब्ध रहेंगे। वृद्धाश्रम की स्थापना में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

36. मेरी सरकार ने " मध्यप्रदेश दैनिक वेतनभोगी (सेवा की शर्तें)नियम, 2013" अधिसूचित कर उनके राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ ही अवकाश, सेवानिवृत्ति आयु, उपादान का भी प्रावधान किया है। पूर्व में स्वीकृत रूपये 500/- तथा 1000/- विशेष भत्ते को बढ़ाकर रुपये 1500/- तथा 2500/- स्वीकृत किया गया है। अब प्रदेश में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जा रही है। राज्य शासन के ऐसे पद जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं उन्हें संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से भरने के लिए " मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा

(संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" जारी किया गया है। कर्मचारी हित में न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने पर किसी भी शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्रता के प्रावधान को विलोपित किया गया। राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के कार्यरत सेवायुक्तों का शासन के विभिन्न विभागों में "संविलियन की योजना" लागू की गई है।

अंत में मैं आशा प्रकट कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में सदन के सभी सदस्य अपने विचारों और विश्वासों की विविधता की स्थिति में भी प्रदेश के विकास के लिए एकाग्र प्रयत्न करेंगे और आप सबके सम्मिलित योगदान से प्रदेश प्रगति के अपने सभी सपनों को साकार कर सकेगा।

जय हिन्द! जय मध्यप्रदेश!